प्र.सं. 72/22 उदयराम व अन्य बनाम कालूराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गिरधारीपुरा, तहसील मावली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट (1) वर्णित आराजी नंबर 140, 141 कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। परिशिष्ट (2) वर्णित आराजी नंबर 111, 128, 132, 138, 215 से 218, 221 कुल किता 9 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा में वादी का 1/8 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। परिशिष्ट (3) वर्णित आराजी नंबर 202 कुल किता 1 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा में वादी का 26/2226 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है एवं इसी प्रकार परिशिष्ट (4) वर्णित आराजी नंबर 133 से 137, 192, 193, 206, 207, 209, 211, 212, 214, 219 कुल किता 14 रकबा 35 बीघा 2 बिस्वा में वादी का 26/2226 + 160/2808 + 39/1053 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 19 ने आपसी विभाजन कर रखा है एवं अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु भूमियां संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से भूमि को उपजाउ बनाने व विकास करने में कठिनाई आती है। अतः वाद वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.03.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 08.08.2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 12 व 13 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11–10–2022 को	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने से उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर हिस्से अनुसार विभाजन किया गया था, किन्तु तहसीलदार ने मनमकसूद तरीके से अपीलान्ट के रकबे को कम कर दिया। हाल ही में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मौके पर आये तो उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विभाजन में मात्र वादी के शेयर को अलग किया गया है, शेष सहखातेदारों की भूमि शामलाती रखी गयी है तथा अपीलान्टगण को विभाजन में कम भूमि दी गयी है। अपीलान्टगण द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:46 IST
Reason: SelfAttested

ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ वादी/रेस्पोन्डेन्ट कालूराम की भूमि का ही विभाजन किया गया है, शेष पक्षकारान में से अधिकतर पक्षकारों का हिस्सा शामलाती रखा गया है। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव में कांट–छांट की जाना प्रकट होता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी थी, जिसका कोई निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। तद्नुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम न्याय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 03/2019 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए सभी पक्षकारान के मध्य भूमियों का विभाजन उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर करते हुए पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:46 IST
Reason: SelfAttested